न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00212 **दायरा दिनांक : 18.11.2019**

उनवान

कालू आत्मज बिशना, जाति माली, निवासी बडाय, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज.)
.... अपीलांट

बनाम

1. दुर्गाशंकर आत्मज किशना, जाति माली, निवासी बडाय, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज.)
2. बृजमोहन आत्मज बाबूलाल माली (माता घीसी बाई)
3. रामलाल आत्मज बाबूलाल माली (माता घीसी बाई)
4. विनोद आत्मज बाबूलाल माली (माता घीसी बाई)
   निवासीगण रायपुर, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)
5. मन्जू बाई पुत्री बाबूलाल पत्नी प्रकाश, जाति माली, निवासी हाल लोरखेडी, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश
6. शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छीपाबडोद, जिला बारां (राज.)
7. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सारथल, जिला बारां (राज.)
8. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहत सिंचाई परियोजना झालावाड (राज.)
9. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छीपाबडोद, जिला बारां (राज.)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2019/00213 **दायरा दिनांक :18.11.2019**

उनवान

कालू आत्मज बिशना, जाति माली, निवासी बडाय, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज.)
.... अपीलांट

बनाम

1. दुर्गाशंकर आत्मज किशना, जाति माली, निवासी बडाय, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज.)
2. बृजमोहन आत्मज बाबूलाल माली (माता घीसी बाई)
3. रामलाल आत्मज बाबूलाल माली (माता घीसी बाई)
4. विनोद आत्मज बाबूलाल माली (माता घीसी बाई)
   निवासीगण रायपुर, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)
5. मन्जू बाई पुत्री बाबूलाल पत्नी प्रकाश, जाति माली, निवासी हाल लोरखेडी, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश
6. शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा छीपाबडोद, जिला बारां (राज.)
7. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सारथल, जिला बारां (राज.)
8. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन वृहत सिंचाई परियोजना झालावाड (राज.)
9. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, छीपाबडोद, जिला बारां (राज.)

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री शेखजमा सिद्धीकी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अमृत मीणा अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 की ओर से
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय **दिनांक : 28.11.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 186/2017 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2018 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 24.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नं. 4 रकबा 7 बीघा, खसरा नं. 61 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 62 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 365 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 505/366 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं. 505/367 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा मौजा बडाय, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2018 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 24.05.2018 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2018 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 24.05.2018 विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट नं. 1 के वाद को सरसरी तौर पर एक तरफा कार्यवाही कर एक तरफा निर्णय पारित कर एक तरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2018 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 24.05.2018 जारी करने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.08.2017 को वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा वाद पेश किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजि0 ए0डी0 के आदेश हुए किन्तु रजि0 ए0डी0 पेश नहीं की और रजि0 ए0डी0 पेश होने व जारी होने का नोट पत्रावली की आर्डरशीट पर अंकित नहीं है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.01.2018 को रजि0 ए0डी0 प्राप्त नहीं होने व एक माह का समय हो जाने के कारण एक तरफा कार्यवाही करने व एक तरफा निर्णय दिनांक 10.02.2018 को पारित करने में त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली विभाजन प्रस्ताव में पेशी दिनांक 03.05.2018 को नियत की गई, किन्तु पत्रावली को राजस्व लोक अदालत केम्प बिलेन्डी पर दिनांक 24.05.2018 को लेकर विभाजन प्रस्ताव पेश होने पर फाईनल डिकी जारी करने में त्रुटि की है। प्रतिवादी अपीलांट को माननीय न्यायालय द्वारा जारी रजि0 ए0डी0 लिफाफा कभी भी प्राप्त नहीं हुआ और न सम्मन अथवा लिफाफा लेने से कभी इंकार ही किया है।विवादित भूमि में वादी रेस्पोडेंट का 1/2 हिस्सा व अपीलांट प्रतिवादी नं. 1 व मृतक पुत्री घीसी बाई पुत्री बिशना व मोत्या बाई बेवा बिशना का 1/2 हिस्सा दर्ज था, बहन घीसी बाई ने व माता मोत्या बाई ने अपीलांट के पक्ष में अपने हिस्से की भूमि की वसीयत

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आलेखित की गई है। क्योंकि उक्त भूमि अपीलांट की ही पैतृक सम्पत्ति थी। जिसका एक मात्र वारिस अपीलांट ही है। मात्र पूर्व में खातेदारी में बहन व माता के नाम चलते रहने से अपीलांट को एतराज न होने के कारण खातेदारी में दर्ज थी। इस कारण घीसीबाई व मोत्या बाई की मृत्यु के बाद उक्त वसीयत के अनुसार विवादित भूमि में से 1/2 हिस्से की भूमि का अपीलांट खातेदार हो गया तथा 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेंट नं. 2 ता 5 घीसीबाई के वारिस है और उनका विवादित भूमि पर अथवा घीसीबाई के हिस्से की भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट नं. 2 ता 5 से मिली भगत कर दावा डिक्री करवा लिया जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी नं. 1 को सुनवायी का व जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाता तो अपीलांट उक्त दोनों वसीयत पेश करता व 1/2 हिस्से की भूमि अपने खाते दर्ज करवाता जिससे अपीलांट जवाबदेही करने से वंचित रह गया। इस कारण निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री को अपास्त किया जाना आवश्यक है। रेस्पोडेंट नं. 2 ता 5 के नाम फाइनल डिक्री की पालना में इंतकाल तस्दीक कर दर्ज कर रेस्पोडेंट नं. 2 ता 5 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया और रेस्पोडेंट नं. 2 ता 5 शीघ्र ही उक्त भूमि को रहन, बेचान करने व रेस्पोडेंट नं. 8 से भूमि का मुआवजा प्राप्त करने पर आमादा है इस कारण विवादित भूमियों के मौका की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक हो गया है अन्यथा प्रार्थी अपीलांट को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व अपील करना ही बेकार हो जावेगा।

फाइनल डिक्री जारी करने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया है वह गलत है और पटवारी हल्का ने मौके का निरीक्षण पक्षकारों की उपस्थिति में कराये बिना व कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही सरसरी तौर पर छिपे तौर पर गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके आधार पर बिना पक्षकारों को सुने सरसरी तौर पर फाइनल डिक्री जारी करने में कानूनी त्रुटि की है। विभाजन प्रस्ताव व फाइनल डिक्री में यह कहीं अंकित नहीं किया गया है कि वादी रेस्पोडेंट को किस दिशा की भूमि प्राप्त होगी केवल मिन खसरा नम्बर अंकित कर फाइनल डिक्री जारी करने में त्रुटि की है। खसरा नं. 56/367 की 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि बिशना को आवंटन हुई थी जो उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसको भी पैतृक सम्पत्ति मानते हुए शामलाती खाते में दर्ज कर विभाजन कर दिया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। रेस्पोडेंट नं. 1 ने खसरा नं. 367 की 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बडाय, तहसील छीपाबडोद में भी अपने नाम के साथ साथ उसकी पत्नी कन्याबाई का नाम खाते में धोखाधडी व फ्रोड करते हुए दर्ज करवा लिया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक **10.02.2018 तथा** फाइनल डिक्री दिनांक 24.05.2018 निरस्त की जावे तथा अपीलांट को **सुनवाई व जबाबदेही** का अवसर देते हुए प्रकरण को सुनवायी हेतु अधीनस्थ न्यायालय को **रिमाण्ड फरमाया जावे।**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 28.08.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा डिक्री जारी की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन हमें प्राप्त नहीं हुआ फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने हमारी तामील मान ली जो गलत है। वसीयत हमारे पक्ष में है। अतः वसीयत को पेश करने व अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाये। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी दो गांव बढाई व बिलेंडी की जमीन है। वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने दावा किया, तामील करवायी गई। दुर्गाशंकर के हिस्से की आराजी परवन सिंचाई परियोजना में गई, प्रतिवादी उसमें से मुआवजे का हिस्सा लेना चाहते हैं क्योंकि आराजी शामलाती खाते में दर्ज थी। कालू व दुर्गाशंकर दोनों भाई है आपसी पारिवारिक बंटवारा पूर्व में ही हुआ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वाद प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए अपने निर्णय व एकतरफा प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2018 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बडाय खाता संख्या 81 के अनुसार विवादित आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा स्वीकार करते हुए वादी के हिस्से एवं कब्जे के अनुसार विवादित भूमि का पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को आदेशित किया।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त एकतरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2018 के विरूद्ध अपीलांट प्रतिवादी नं. 1 द्वारा अपील संख्या 2019/00212 पेश कर मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.08.2017 को वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा वाद पेश किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी हेतु रजिस्टर्ड एडी0 के आदेश हुए किन्तु रजिस्टर्ड एडी0 पेश नहीं की और रजिस्टर्ड ए0डी0 पेश होने व जारी होने का नोट पत्रावली की ऑर्डरशीट पर अंकित नहीं है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.01.2018 को रजिस्टर्ड एडी0 प्राप्त नहीं होने व एक माह का समय हो जाने के कारण एकतरफा कार्यवाही कर एकतरफा निर्णय दिनांक 10.02.2018 को पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट के इस कथन की पुष्टि होती है कि उन्हें सम्मन की तामील नहीं हुई क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदें सलंग्न नहीं होना पाया गया। रजिस्टर्ड एडी0 की रसीदों के अभाव में प्रतिवादी अपीलांट को रजिस्टर्ड एडी0 से तामील होना स्वीकार योग्य एवं न्यायोचित नहीं माना जा सकता।

सम्मन तामील के अभाव में प्रतिवादी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.02.2018 की पालना में तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.05.2018 एवं इस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.05.2018 को भी न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें, अपील संख्या 2019/00212 व अपील संख्या 2019/00213 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री 10.02.2018 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.05.2018 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर तनकीयात कायम कर पुनः नये सिरे से तनकीवार विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.01.2025 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/11/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा